

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के
अन्तर्गत निर्धारित 17 मैनुअल का अध्यावधिक विवरण

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून

अनुक्रमणिका

मैनुअल संख्या	मैनुअल	पृष्ठ संख्या
1	संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	1-30
2	अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	31-57
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक/उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है।	58-92
4	कृत्यों के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	93-94
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	95
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	96-168
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के लिए विद्यमान है	169-170
8	ऐसे बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	171
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	172-174

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित है,	175-177
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	178-240
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के व्यौरे सम्मिलित है।	241-256
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	257-275
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	276-277
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण धंटे सम्मिलित है।	278-279
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां	280-282
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	283-285

मैनुअल –01

संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

1. निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विभागान्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या-1183/XVII-3/11-07(63)/2006 दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-510/XXXI(1)/2002 देहरादून दिनांक 24 अप्रैल, 2012 द्वारा पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, ताकि अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अल्पसंख्यकों के उत्थान का कार्य किया जा सके।

2. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तथा आयोग ने दिनांक 29 सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ किया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अपने गठन के पश्चात से ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्य:-

1. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
3. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।
4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

3. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन 06 जनवरी 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत किया गया। निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है।

उद्देश्य :-

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कम्प्यूटर, सिलाई कड़ाई, आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कौशल वृद्धि करना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

4. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

राज्य के मदरसों की मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2005 तक उ०प्र० मदरसा बोर्ड द्वारा ही किया जाता था। राज्य के मदरसों को मान्यता देने एवं मदरसों की परीक्षा कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं०-813/XVII(1)-3/06-07(11)/2005 दिनांक 03 अगस्त, 2006 के द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के पर्यवेक्षण में मदरसा अरबी फारसी बोर्ड की स्थापना की गई। शासनादेश संख्या 1209/XVII-3/11-07(11)/2005 टी०सी० दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के द्वारा उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के समस्त पदों को समर्पित करते हुए देहरादून में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, इसके उपरान्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड को विधिवत् स्थापित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम 2006, 31 मार्च, 2016 को प्रख्यापित करते हुए अधिसूचना संख्या-1625/XVII-3/16-07(61)/2013 दिनांक 10 नवम्बर, 2016 द्वारा "उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्," का विधिवत् गठन किया गया है।

5. उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान कलियर, रुड़की।

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 529/स.क./02-87/दिनांक 10 जून 2002 के माध्यम से उत्तराखण्ड हज समिति की स्थापना की गई है। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति ने 18 फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड राज्य हज

समिति में एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य नामित किये जाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा हज यात्रा संचालित करने वाला राज्य का नोडल विभाग है। राज्य के तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य एवं केन्द्रीय हज समिति के साथ समग्र समन्वय का कार्य उत्तराखण्ड हज समिति द्वारा किया जा रहा है। हज अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए जेद्दाह में हज यात्रियों को समुचित चिकित्सा सुविधा, मार्ग निर्देशन आदि का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल)

पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत ₹189.26लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2023 तक ₹ 134.94 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

7. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख-रेख एवं रख-रखाव हेतु वक्फ बोर्डों की स्थापना की गयी है। शासनादेश संख्या-1185/XVII-3/2018-04(9)/2016 दिनांक 26.12.2018 के द्वारा गढ़वाल मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु देहरादून एवं कुमायूं मण्डल की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में वक्फ ट्रिब्यूनलों की स्थापना की गयी है।

विभाग के मूल उद्देश्य

1. राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च

प्राथमिकता अल्पसंख्यक-वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक-स्तर में गुणात्मक-सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के अन्य वर्गों की बराबरी के स्तर पर लाना है।

2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन-पाठन भी साथ-साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के प्रत्येक क्षेत्र से सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सकें।
3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना जिससे की इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि. के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन-मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यवसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस हेतु विभाग प्रतिबद्ध है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रशासनिक ढांचा

कार्यालय: निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।

क्र.स.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान (छ:टे वेतन)	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	निदेशक	आई.ए.एस. / सीनियर पी.सी.एस.	1	1	0	अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन अतिरिक्त प्रभार।
2	उपनिदेशक	15600-39100 ग्रेड पे 6600	1	1	0	उप सचिव उत्तराखण्ड शासन के पास अतिरिक्त प्रभार।
3	वित्त अधिकारी	वित्त सेवा संवर्गीय वेतनमान	1	1	0	वित्त सेवा संवर्ग।
4	सहायक निदेशक/ योजना अधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे 5400	1	0	1	वर्तमान में रिक्त।
5	विधि अधिकारी	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण	1	1	0	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त।
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे 5400	1	0	1	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में रिक्त है।
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे 4800	1	0	1	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद रिक्त है।
8	प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे 4600	1	0	1	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद रिक्त।
9	लेखाकार	9300-34800 ग्रेड पे 4200	1	0	1	पदोन्नति का पद है, जो वर्तमान में रिक्त है।
10	सहायक लेखाकार (कम्प्यूटर दक्ष)	5200-20200 ग्रेड पे 2400	2	0	2	दोनों पद रिक्त है। अध्यायन आयोग को प्रेषित।
11	वैयक्तिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे 4600	1	0	1	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद।
12	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 4200	1	0	1	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद।
13	वैयक्तिक सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 2800	2	2	0	सीधी भर्ती से 02 कार्मिक तैनात।
14	प्रधान सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 4200	3	2	1	पदोन्नति का पद है।

क्र.स.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान (छ:टे वेतन)	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
15	वरिष्ठ सहायक	5200-20200ग्रेड पे 2800	3	0	3	पदोन्नति से भरा जाना है।
16	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुख्यालय।	5200-20200ग्रेड पे 2800	2	2	0	नियमित भर्ती।
17	कनिष्ठ सहायक	5200-20200ग्रेड पे 2000	2	2	0	01-पद पर नियमित तैनाती।
18	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	(आऊट सोर्सिंग का पद स्वीकृत)	1	1	-	01 पद आऊट उपनल के माध्यम से कार्यरत 01 पद रिक्त।
19	डाटा इंट्री ऑपरेटर	(आऊट सोर्सिंग का पद स्वीकृत)	1	1	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
20	वाहन चालक	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	4	0	4	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत। वर्तमान में रिक्त।
21	अनुसेवक / चौकीदार / स्वच्छक	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	11	9	2	02-कार्मिक शासन से सम्बद्ध।
योग:			42	23	19	

[मैनेस्ट्रियल रॉबर्ग के पद स्टैफिंग पैटर्न के आधार पर।]

कार्यालय: जनपदस्तरीय कार्यालय।

क्र.स.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे 4200	4	0	4	जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून एवं जनपद नैनीताल में अन्य जनपदीय अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 02-पदों हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

क्र.स.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
2	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे 5400	1	0	1	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है।
3	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे 4800	2	0	2	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है।
4	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे 4600	2	0	2	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है।
5	प्रधान सहायक	9300-34800 ग्रेड पे 4200	3	0	3	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है।
6	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	5200-20200 ग्रेड पे 2800	13	9	5	एक पद प्रतिनियुक्ति से भरा है। 05 पदों को भरे जाने हेतु अध्याचन आयोग को प्रेषित।
7	वरिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 2800	4	4	0	पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में 02 पद प्रतिनियुक्ति से भरे गये हैं।
8	कनिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 2000	6	2	4	रिक्त पदों के सापेक्ष अध्याचन अधीनस्थ चयन आयोग को प्रेषित।
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	4	4	0	04 कार्मिक आऊट सोर्सिंग से कार्यरत हैं।
10	अनुसेवक	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	16	8	8	08 कार्मिक आऊट सोर्सिंग से कार्यरत तथा 8 पद रिक्त हैं।
योग:			55	27	29	

स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर

कार्यालय: उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान-ए-कलियर रुड़की।

क.सं.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	अधिशाली अधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे-7600	1	1	0	वर्तमान में अधिशाली अधिकारी का पदभार अन्य विभाग के अधिकारी को प्रदान किया गया है।
2	हज अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे-4600	1	1	0	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण का पद है। वर्तमान में पद भरा है।
3	सहायक लेखाकार	5200-20200 ग्रेड पे-2800	1	0	1	पद रिक्त है।
4	कनिष्ठ सहायक / भण्डार सहायक	5200-20200 ग्रेड पे-2000	1	0	1	ऑउटसोर्स से कार्मिक तैनात।
5	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	5200-20200 ग्रेड पे-2000	2	0	2	02-कार्मिक संविदा पर कार्यरत
6	चौकीदार	ऑउटसोर्स पद	2	2	0	आउट सोर्सिंग
7	अनुसेवक	ऑउटसोर्स पद	1	0	1	आउट सोर्सिंग
8	स्वच्छक (हज हाउस)	ऑउटसोर्स पद	1	1	0	आउट सोर्सिंग
9	माली (हज हाउस)	ऑउटसोर्स पद	1	1	0	आउट सोर्सिंग
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	ऑउटसोर्स पद	1	1	0	आउट सोर्सिंग
11	वाहन चालक	ऑउटसोर्स पद	1	0	1	आउट सोर्सिंग
योग:			13	7	6	

कार्यालय: उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून।

क.सं.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	निदेशक	आई.ए.एस./ सीनियर पी.सी.एस.	1	1	0	अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पास अतिरिक्त चार्ज
2	उप रजिस्ट्रार	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण	1	1	0	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात।
3	निरीक्षक	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण	1	0	1	रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया मदरसा शिक्षा परिषद् स्तर से गतिमान।
4	लेखाकार	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत	1	1	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
5	कनिष्ठ सहायक	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत	5	5	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
6	उर्दू अनुवादक	5200-20200 ग्रेड वेतन 2000	1	1	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
7	अनुसेवक	आऊट सोर्सिंग स्वीकृत	3	3	0	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
योग:			13	12	1	

उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

क.सं.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
1	सचिव श्रेणी (2) का पद	15600-39100 ग्रेड पे 5400	1	1	0	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात।
2	वैयक्तिक सहायक (अध्यक्ष हेतु)	5200-20200 ग्रेड पे 2800	1	1	0	उपनल ऑउटसोर्स के आधार पर कार्मिक तैनात।
3	लेखाकार	9300-34800 ग्रेड पे 4200	1	1	0	उपनल ऑउटसोर्स के आधार पर कार्मिक तैनात।
4	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200 ग्रेड पे 2800	1	0	1	पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद रिक्त।

क.सं.	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अन्य
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200-20200ग्रेड पे 2000	1	1	0	नियमित कार्मिक तैनात।
6	वाहन चालक (अध्यक्ष एवं सचिव हेतु)	5200-20200ग्रेड पे 2000	2	1	1	01 आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200ग्रेड पे 1900	4	4	0	एक पद आऊट सोर्सिंग से कार्यरत।
योग:			11	9	2	

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3,

देहरादून: दिनांक: 02 दिसम्बर, 2011

विषय: उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में समाज कल्याण निदेशालय में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, विकलांगजनों, महिला कल्याण तथा अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय में अत्यधिक कार्य होने के कारण अल्पसंख्यकों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं का समुचित संचालन नहीं हो पा रहा है। अतः इन योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय "अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय" के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को संचालित किये जाने हेतु निम्न पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2012 तक, वशर्त कि इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैंड (ग्रेड-पे) र में	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	निदेशक	आई0ए0एस0 / वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग	01(एक)
2.	उप निदेशक	वेतन बैंड-3, 15600-39100+ग्रेड पे-6600	01(एक)
3.	वित्त अधिकारी	वित्त सेवा का संवर्गीय वेतनमान	01(एक)
4.	लेखाकार	वेतन बैंड-2, 9300-34800+ग्रेड पे-4200)	01(एक)
5.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैंड-2, 9300-34800+ग्रेड पे-4200)	01(एक)
6.	मुख्य सहायक	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2800	01(एक)
7.	सहायक लेखाकार (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2800	01(एक)

५-

8.	प्रवर सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2400	01(एक)
9.	आशुलिपिक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2400	01(एक)
10.	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	वेतन बैन्ड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-1900	02(दो)
कुल			11(ग्यारह)

- अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, का मुख्यालय देहरादून में होगा।
- सफाई, वाहन चालक, अनुसेवक व सुरक्षा की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी, परन्तु संख्या का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त किया जायेगा तथा पारस्मिकता का भुगतान संगत शासनादेशों के अनुरूप देय होगा।
- उपरोक्त तालिका के क्रमांक-7 पर सहायक लेखाकार का 01 पद, क्रमांक-8 पर प्रवर सहायक का 01 पद, क्रमांक-9 पर आशुलिपिक का 01 पद एवं क्रमांक-10 पर कनिष्ठ सहायक के 02 पद अर्थात् कुल 05 पद निदेशालय, समाज कल्याण से स्थानान्तरित किये जायेंगे।
- उपरोक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित पांच (5) पदों के स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-927/कल्याण/2001 दिनांक 26.12.2001 एवं शासनादेश संख्या-477/XVII-1/11-01(78)/2008 दिनांक 27 मई, 2011 में उल्लिखित उक्त पदों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- अल्पसंख्यक विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं तथा प्रतिष्ठानों यथा मदरसा बोर्ड, राज्य हज समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग एवं पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम इत्यादि का संचालन अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ही अल्पसंख्यक विकास से सम्बन्धित कार्यों का संचालन निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के निर्देशों के अनुसार करेंगे।
- नवगठित अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन के लिए नया लेखा शीर्षक अभी नहीं खुला है अतः चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 की अनुदान संख्या: 15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-00-800-अन्य व्यय-09-पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन पर व्यय के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अश्वदान/राज सहायता से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगे। जब अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के लिए नया लेखा शीर्षक खुल जायेगा, तब उस लेखाशीर्षक के अन्तर्गत व्यय वहन किया जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-554/XVII(7)/2011 दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जायेंगे।

६-

भवदीय,

(एस0 राजू)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

संख्या 1183 (1)/XVII-3/11-07(63)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नवसृजित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, में निदेशक के पद पर किसी आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी को तैनात करने का कष्ट करें।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
9. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
17. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
21. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

M

(बी0आर0 टम्टा)

अपर सचिव।

323

प्रति,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 17 सितम्बर, 2012

D. विषय: अल्पसंख्यक कल्याण की केन्द्र/राज्य पोषित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु निदेशालय/जनपद स्तर पर दक्ष कार्मिकों की संविदा आधार पर व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या:-352 दिनांक 13 जुलाई, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण की केन्द्र/राज्य पोषित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु निदेशालय/जनपद स्तर पर दक्ष कार्मिकों की संविदा आधार पर व्यवस्था करने की अनुमति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय स्तर पर 01 कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स तथा जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल तथा निदेशालय हेतु 05 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपनल के माध्यम से उपनल की दरों पर जिनकी योग्यता एम0सी0ए0/समकक्ष तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु कम्प्यूटर डिप्लोमा हो, को लिये जान तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त कार्मिकों के उपनल की दरों का मानदेय भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्राप्त प्रशासनिक व्यय/अन्य व्यय एवं अन्य सुसंगत मदों से किया जायेगा। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

P. K. Mahajan
(एम0एच0 खान)
सचिव।

प्रेषक,

डा. रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2018

विषय: उत्तराखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण (देहरादून एवं हल्द्वानी) के सुचारु संचालन हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित, 2013) की धारा-83 की उपधारा-4 के प्राविधानानुसार जनपद देहरादून एवं हल्द्वानी में गठित 02 त्रिस्तरीय वक्फ न्यायाधिकरणों के सुचारु संचालन हेतु श्री राज्यपाल संलग्न तालिका के अनुसार, 07-07 पदों कुल 14 (चौदह) अस्थायी पदों को शासनादेश जारी होने अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2019 तक सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त पद इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं।

2- उत्तराखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यगण पद के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड होंगे तथा शेष अन्य पदों के नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि सम्बन्धित दोनों न्यायाधिकरणों के पदों की भर्ती/नियुक्ति संलग्न तालिका में वर्णित स्तम्भ-4 के अनुसार की जायेगी।

4- यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि उपरोक्त पदों के पदधारकों को वही वेतन/मंहगाई/अन्य भत्ता प्राप्त होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य हो।

5- संलग्न तालिका में उल्लिखित 14 अस्थायी पदों की संख्या नवगठित दोनों वक्फ न्यायाधिकरणों में समान (07-07) होगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के "आयोजनागत/राजस्व" पक्ष के "लेखा शीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-800-अन्य व्यय-29-वक्फ ट्रिब्यूनलों हेतु सहायता" के अन्तर्गत मानक मद "20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नाम से डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-470/XXVII(7)/2018, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि।

[Handwritten Signature]

भवदीय,

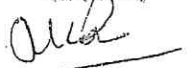
(डा. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

[Handwritten Signature]

पृष्ठांकन संख्या : 1185 (1)/XVII-3/18 तददिनांक।

प्रतिलिपि-भिन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
5. मा. अध्यक्ष, वक्फ ट्रिब्यूनल, देहरादून/हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- ✓ 7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.के. तोमर)
संयुक्त सचिव।

क्र. सं.	पदनाम	वेतन बैंड	भर्ती का स्रोत	पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	अध्यक्ष	अपने संवर्ग के अनुसार	पदेन	02	राज्यपाल	ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा।
2	सदस्य	अपने संवर्ग के अनुसार	पदेन	02	राज्यपाल	ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य होगा।
3	सदस्य	₹ 3000/- प्रति बैठक की दर से	नामित सदस्य	02	राज्यपाल	ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य होगा।
4	पेशकार	₹ 5200-20,200 ग्रेड वेतन ₹ 2,800/-	पदोन्नति द्वारा	02	अध्यक्ष	पोषक संवर्ग उर्दू अनुवादक/ अभिलेखपाल में से सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। जब तक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तब तक प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा।
5	वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक)	₹ 5200-20,200 ग्रेड वेतन ₹ 2,800/-	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	02	अध्यक्ष	चयन समिति के माध्यम से।
6	उर्दू अनुवादक/ अभिलेखपाल	₹ 5200-20,200 ग्रेड वेतन ₹ 2,000/-	—तदैव—	02	अध्यक्ष	चयन समिति के माध्यम से।
7	चतुर्थ श्रेणी/ अनुसेवक	सेवार्य आउटसोर्स	सेवार्य आउटसोर्स	02	अध्यक्ष	—

कुल पदों की संख्या-14 (चौदह)

(Signature)

(आर.के. तोमर)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्या: 428/स.क.-02-35(स.क.)/2002
देहरादून दिनांक 11 जुलाई 2002

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा, उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का गठन करते हुए, आयोग के कार्यों को सुचारु रूप से निस्तारित किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी पूर्व में हो बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, से दिनांक 28 फरवरी 2003 तक के लिए सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	सचिव, श्रेणी (I) का पद	8,000-13,500	1
2	लेखाकार	5,000-8,000	1
3	वैयक्तिक सहायक (अध्याह्न हेतु)	5,000-8,000	1
4	वरिष्ठ लिपिक	4,000-6,000	1
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3,050-4,590	1
6	वाहन चालक (अध्याह्न एवं सचिव हेतु)	3,050-4,590	2
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2,550-3,200	4
	योग		11

2. समाई त सुरक्षा की व्यवस्था हेतु कर्मचारी संविदा के अन्तर्गत पर शासन की स्वीकृति के उपरान्त रखे जायेंगे।

3. उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जायेगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं इन्हें बिना किसी पूर्ण सृजन के समाप्त किया जा सकता है।

4. स्वीकृत किए जा रहे पद के धारकों को शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार गंभीर एवं अन्य बातों भी समानानुसार देय होंगे।

5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुदान संख्या-15 लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-00-800-00-अन्य व्यय-04-अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम से डाला जायेगा।

6 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 1434 वि.अनु-2/2002 दिनांक 03 जुलाई 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्या: 428/स.क.-02-35(स.क.)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून.
- 2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन.
- 3 निजी सचिव मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल.
- 4 निजी सचिव मा. मंत्री समाज कल्याण उत्तरांचल
- 5 निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल देहरादून.
- 6 निदेशक कोषागार उत्तरांचल देहरादून.
- 7 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून.
- 8 वित्त अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन.
- 9 गार्ड फाईल

अज्ञा रो/
11/2/02
(गरिमा शंकली)
जन सचिव

माता
22/09/14

संख्या: 783/XVII-3/14-07(63)/2006

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

D. Dir
22/09/14

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषय: अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय के ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग उचित ढंग से किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय के ढांचे के पुनर्गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित अतिरिक्त पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.2015 तक, बशर्ते कि उससे पूर्व बिना किसी सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, सृजित किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बन्धित अतिरिक्त पदों का विवरण-

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)	भर्ती का स्रोत
1	सहायक निदेशक/ योजना अधिकारी	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 +ग्रेड पे-5400	प्रतिनियुक्ति द्वारा
2	विधि अधिकारी	01	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण
3	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	वेतन बैंड-2, 9300-34800 +ग्रेड पे-4200	प्रोन्नति द्वारा
4	सहायक लेखाकार	01	वेतन बैंड-1, 5200-20200 +ग्रेड पे-2800	सीधी भर्ती
5	वैयक्तिक सहायक	02	वेतन बैंड-2, 9300-34800 + ग्रेड पे-2800	सीधी भर्ती
6	वरिष्ठ सहायक	02	वेतन बैंड-1, 5200-20200 +ग्रेड पे-2800	प्रोन्नति द्वारा
7	कनिष्ठ सहायक/ कम्प्यूटर सहायक	02	वेतन बैंड-1, 5200-20200 +ग्रेड पे-2000	सीधी भर्ती
8	वाहन चालक	04	-	वाहन की स्वीकृति के साथ ही पद सृजन कर भर्ती आउट सोर्सिंग से।
9	अनुसेवक/स्वच्छकार/ चौकीदार	(04 अनुसेवक व 01 स्वच्छकार)	-	इन पदों के कार्य आउट सोर्सिंग से कराये जायेंगे।

2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय से सम्बन्धित अतिरिक्त पदों का विवरण:-

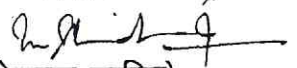
क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)	भर्ती का स्रोत
1	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	15	वेतनबैण्ड-1, 5200-20200 + ग्रेड पे-2800	सीधी भर्ती द्वारा
2	प्रधान सहायक	04	वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 + ग्रेड पे-4200	प्रोन्नति द्वारा
3	वरिष्ठ सहायक	04	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 + ग्रेड पे-2800	प्रोन्नति द्वारा
4	कनिष्ठ सहायक	04	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 + ग्रेड पे-2000	सीधी भर्ती
5	अनुसेवक/चौकीदार/स्वच्छकार (04 जनपदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों हेतु)	(08 अनुसेवक व 04 चौकीदार व 04 स्वच्छकार)		इन पदों के कार्य आउट सोर्सिंग से कराये जायेंगे।

2. आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृति पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्य सम्पादित किया जायेगा। सीधी भर्ती के स्वीकृत किये

जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-147(P)/XXVII(3)2014-15, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किये जा रहे हैं।

भवदीय


(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

संख्या:- /XVII-3/14-07(63)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।हीजजती
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड।
9. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

डॉ० अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 22 मई, 2014

विषय:-उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में हज यात्रा तथा मक्का, मदीना और इरान इराक आदि की प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा से सम्बन्धित व्यवस्था को सुचारु रूप से सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.2015 तक बशर्ते की उससे पूर्व बिना किसी सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की सं.	वेतनमान (रु०में)	भर्ती का स्रोत
1.	अधिशाली अधिकारी	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100+ ग्रेड पे- 7600	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण
2.	हज अधिकारी	01	वेतन बैंड-2, 9300-34800+ग्रेड पे-4600	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण
3.	सहायक लेखाकार	01	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ ग्रेड पे-2800	सीधी भर्ती
4.	कनिष्ठ सहायक/भण्डार सहायक	01	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ ग्रेड पे-2000	सीधी भर्ती
5.	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	02	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2000	सीधी भर्ती
6.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	01	—	आउट सोर्सिंग
7.	वाहन चालक	01	—	आउट सोर्सिंग
8.	चौकीदार	02	—	आउट सोर्सिंग
9.	अनुसेवक	02	—	आउट सोर्सिंग
10.	स्वच्छक (हज हाउस)	01	—	आउट सोर्सिंग
11.	माली (हज हाउस)	01	—	आउट सोर्सिंग
योग - 14				

5

2. आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृति पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्य सम्पादित किया जायेगा। सीधी भर्ती के स्वीकृत किये जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3. उत्तराखण्ड राज्य हज समिति के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन के लिए मदवारं लेखाशीर्षक अभी नहीं खुला है। अतः इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-00-800 अन्य व्यय-03-प्रान्तीय राज्य हज समिति को अनुदान-20 सहायक अनुदान /अंशदान /राज्य सहायता से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-13(NP)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 22 मई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

संख्या:- 439 /XVII-3/2013-07(60)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
15. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

डा० अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनु-3 देहरादून: दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

विषय:- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल में चार (04) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-1183/XVII-3/11-7(63)2006, दिनांक 02.12.2011 के प्रस्तर-9 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं का कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा ही देखा जा रहा है। कार्यों की अधिकता के कारण अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित योजनाओं का कियान्वयन पूर्ण रूपेण न हो पाने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि कार्यों में गति लाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य के चार (04) अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में पृथक-पृथक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अस्थायी पद एवं कार्यालय की स्थापना की जाय।

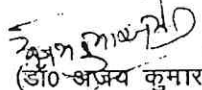
अतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य चार (04) जनपदों हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय की स्थापना किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालयों का संचालन किये जाने हेतु निम्न पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2014 तक बशर्त कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, सृजित करने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०स०	पद नाम	पदों की सं०	वेतनमान
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	चार (04)	रु० 9300-34800 ग्रेड-पे 4200
2	प्रवर सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	चार (04)	रु० 5200-20200 ग्रेड-पे 2800
3	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	चार (04)	रु० 5200-20200 ग्रेड-पे 2400

- निर्धारित वेतनमान में सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्त पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- नवगठित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालयों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2250 अन्य सामाजिक सेवायें-00-800-अन्य व्यय-21-जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान-00 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के निर्देशानुसार करेंगे।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या--72(P)XXVII(3)/2013-14 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ०-अंशु कुमार प्रद्योत)
सचिव।

संख्या:- /XVII-3/2013-22(ब0अ0)/2012

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. मण्डलायुक्त, कुमायू/गढ़वाल उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।

(92)

संख्या /XVII-3/11-07(11)/2005टी0सी0

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3,

देहरादून:

दिनांक: ०५ दिसम्बर, 2011

विषय: उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य में लगभग 500 ऐसे मदरसे संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ दीनी-तालीम प्रदान की जा रही है, परन्तु इन मदरसों में से 26 मदरसे ही ऐसे हैं जो उ0प्र0 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उ0प्र0 मदरसा बोर्ड मुंशी/मौलवी (10वीं फारसी), आलिम (12वीं) कामिल (स्नातक) तथा फाजिल (स्नातकोत्तर) के प्रमाण-पत्र/उपाधि प्रदान करता है। इस प्रकार में मदरसा बोर्ड के गठन न होने के कारण राज्य के मदरसों एवं छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है। अतः मदरसों को मान्यता एवं उक्तानुसार प्रमाण-पत्र/उपाधि प्रदान करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य की परीक्षाओं को संचालित किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय "उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड" के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा।

3. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का संचालन किये जाने हेतु निम्न पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2012 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (ग्रेड-पे) र में	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	निदेशक	आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग	01(एक)
2.	उप रजिस्ट्रार (प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण)	वेतन बैंड-3, 15600-39100+ग्रेड पे-5400	01(एक)
3.	निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण)	वेतन बैंड-2, 9300-34800+ग्रेड पे-4600)	01(एक)
4.	उर्दू अनुवादक	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ग्रेड पे-2400	01(एक)
कुल			04(चार)

उक्त के अतिरिक्त लेखाकार के 01 पद, कनिष्ठ सहायक के 05 पद, अनुसेवक के 02 पद एवं स्वीपर-कम चौकीदार के 01 पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जानी होगी। आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्य सम्पादन किया जायेगा।।

4. निर्धारित वेतनमान में सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्त पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
5. राज्य में स्थापित मुस्लिम एजुकेशन मिशन को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है तथा उसमें सृजित पदों को भी समर्पित किया जाता है।
6. शासन के शानादेश संख्या: 88/XVII-(1)-3/06-07(30)/2005 दिनांक 16 फरवरी, 2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या: 638/XVII-(1)/स0क0-4(स0क0)/2004 दिनांक 09 मार्च, 2005 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 806/XVII-(1)-3/05-07(30)/2005 टी0सी0 दिनांक 01 अगस्त, 2006 द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के लिए सृजित पदों सम्बन्धी समस्त उक्त आदेशों को निरस्त किया जाता है।
7. राज्य के अन्तर्गत समस्त मदरसों से सम्बन्धित सभी योजनाओं/कार्यों दायित्वों इत्यादि जिनका संचालन अभी तक मुस्लिम एजुकेशन मिशन द्वारा किया जा रहा है आदेश जारी होने की तिथि से उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, द्वारा किया जायेगा।
8. जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ही मदरसों से सम्बन्धित कार्यों का संचालन निदेशक/उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार करेंगे।
9. नवगठित उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2250 अन्य सामाजिक सेवाएं-00-800-अन्य व्यय-उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की स्थापना-00 के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-305 XVII-(P)XXVII-(3)2011-12 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजू)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

(4)

संख्या 1209 (1)/XVII-3/11-07(11)/2005टी0सी0 तददिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन नई दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नवसृजित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, में निदेशक के पद पर किसी आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी को तैनात करने का कष्ट करें।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
9. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
17. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
21. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,


(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या: 2.82- XVII-B-1/2021-03(20) 2020
देहरादून : दिनांक : 16 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1045/नि.अ. क./2020-21 दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों यथा अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य हज समिति कार्यालय में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कुल 34 पदों को एकीकृत करते हुए, कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -90/XXX (2)/16-30 (51)2015 दिनांक 26.07.2016 के अनुसार विभाग के अन्तर्गत संरचनात्मक ढांचे में स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था को निम्नवत निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.स	पदनाम	कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत	कुल 34 पदों के सापेक्ष स्टाफिंग पैटर्न में पदों की संख्या
1	कनिष्ठ सहायक	32%	11
2	वरिष्ठ सहायक	28%	09
3	प्रधान सहायक	18%	06
4	प्रशासनिक अधिकारी	8%	03
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8%	03
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	6%	02
	योग	100%	34

2- उक्तानुसार अंकित तालिका के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों हेतु मिनिस्ट्रियल संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या को यथावत रखते हुए कुल 34 पदों को अधिष्ठान/कार्यालयवार निम्नवत विभाजित किया जाता है:-

क्र.स	पदनाम	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	उत्तराखण्ड राज्य हज समिति	जिला अल्पसंख्यक कार्यालयों हेतु			
					देहरादून	हरिद्वार	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल
1	कनिष्ठ सहायक	2	1	2	1	2	2	1
2	वरिष्ठ सहायक	3	1	1	1	1	1	1
3	प्रधान सहायक	3	-	-	1	1	-	1
4	प्रशासनिक अधिकारी	1	-	-	-	-	1	1

5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	—	—	1	—	1	—
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	—	—	—	1	—	—
योग 34		11	2	3	4	5	5	4

2- स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत उक्त फ्रॉन्ट के अनुसार पदों की संख्या तथा वेतनमान के संबंध में संगत सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पर कर लिया जायेगा।

3- उक्त आदेश कार्मिक विभाग के सम्यक/सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(एल.फैनई)

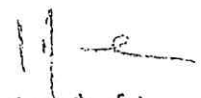
प्रमुख सचिव।

संख्या: 282 /XVII-B-1 / 2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
- 6- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
- 7- सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- 8- अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(एल.फैनई)

प्रमुख सचिव।